>

Title: Need to take all necessary measures for the welfare of senior citizens in the country.

श्री गजानन ध. बाबर (मावल): हमारे देश में लगभग 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिक है और इनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन 10 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में 66 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक गरीब हैं और 90 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक सामाजिक एवं स्वास्थ्य रूप से सुरक्षित नहीं है। 35 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों पर घरों में अत्याचार किया जाता है। 17 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक अकेले रहने को मजबूर हैं। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है वरिष्ठ नागरिकों को जीवन संबंधी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि विशेष रूप से दवाइयों की अधिक आवश्यकता पड़ती है और वरिष्ठ नागरिक मधुमेह, हृदयरोग, कैंसर जैसी अनेक बीमारियों से घिर जाते हैं और इनके इलाज हेतु वरिष्ठ नागरिकों के पास पर्याप्त धनराशि नहीं होती जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों के अत्यधिक बीमार होने से वे जीवन से हाथ धो बैठते हैं।

अतः मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाये।

1. वरिष्ठ नागरिक निर्वाह एवं कल्याण कानून 2007 को देश में तुंत लागू किया जाए।

2. वरिष्ठ नागरिकों की नई परिभाषा बनायी जाय तथा प्रत्येक वर्ष बजट में वरिष्ठ नागरिकों हेतु अलग से बजट का प्रावधान किया जाए।

3. वरिष्ठ नागरिकों के सेवानिवृत योजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार क्रमशः 1000-1000 रूपये की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव बनाया जिससे वरिष्ठ गरीब नागरिकों को प्रत्येक महीने 2000 रूपये अधिक पैंशन मिल सके।

4. ई.पी.एस. 95 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पेंशन में 2000 रूपये की प्रतिमाह के हिसाब से बढ़ोतरी की जाए।

5. सभी वरिष्ठ नागरिकों हेतु देश भर में आरोग्य बीमा योजना चलाये जाने का प्रस्ताव किया जाय।

6. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं अनेक महत्वपूर्ण विषयों को देखते हुए केन्द्र एवं राज्यों में अलग से वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय का गठन किया जाय।